



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12012022-232596
CG-DL-E-12012022-232596

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 12, 2022/पौष 22, 1943

No. 19]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 12, 2022/PAUSHA 22, 1943

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2022

फा.सं.आरसीडी-15001/4/2021-विनियामक-भाखासुमाप्रा.—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 10 की उप-धारा 5 के साथ पठित धारा 37 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण 2 सितम्बर, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित मूल अधिसूचना में संशोधन कर एतद्वारा निम्न अधिकारियों को खाद्य संरक्षा अधिकारी के रूप में उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित क्षेत्र के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से अधिसूचित करता है:-

तालिका में,

(1) क्र.सं. 7 में, संबंधित स्तंभों में प्रविष्टियों को इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाए:

क्र. सं.	केंद्रीय खाद्य संरक्षा अधिकारी का नाम	पोस्टिंग का स्थान	अधिकार क्षेत्र
"7	श्री विनयेश्वर अरसप्पा थेवर	पश्चिमी क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र के अधीन राज्य/केंद्रीय शासित प्रदेश"

(2) क्र. सं.20 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियों को संबंधित स्तंभों में रखा जाएगा, अर्थात:-

क्र. सं.	केंद्रीय खाद्य संरक्षा अधिकारी का नाम	पोस्टिंग का स्थान	अधिकार क्षेत्र
“21.	डॉ. टीना के जे	दक्षिणी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र के अधीन राज्य/केंद्रीय शासित प्रदेश
22.	श्री चिरंजीवी पोडापति		
23.	सुश्री कोम्मोजू ऐश्वर्या		
24.	सुश्री शीला पी एस		
25.	डॉ. मिंटा एलिजाबेथ वर्गीस		
26.	श्री. सी सेंथिल मुरुगन		
27	श्री वैभव व्यास	उत्तरी क्षेत्र	उत्तरी क्षेत्र के अधीन राज्य/केंद्रीय शासित प्रदेश
28.	श्री रिशव		
29.	श्री उमंग श्रीवास्तवा		
30.	सुश्री नंदिता दास		
31.	सुश्री कुमारी नमिता		
32.	सुश्री नेहुलकुमार महेशभाई श्रीगोड		
33.	श्री पाटिल सतीश यशवंत	पश्चिमी क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र के अधीन राज्य/केंद्रीय शासित प्रदेश”

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./576/2021-22]

टिप्पण- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में फा.सं. आरसीडी-15001/4/2021-विनियामक-भाखासंमाप्रा.,तारीख 2 सितम्बर, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2022

F. No. RCD-15001/4/2021-Regulatory-FSSAI- In exercise of the powers conferred under Sub-Section 5 of Section 10 read with Section 37 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby notifies the following officers as Central Food Safety Officers for the area mentioned against each with effect from the date of publication in this notification by amending the principal notification, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 on 2nd September, 2021:-

In the table;

(1) in Sr. No. 7, the entries in the respective columns shall be substituted as;

Sr. No.	Name of CFSOs	Place of Posting	Area of Jurisdiction
“7.	Mr. Vigneshwaran Arasappa Thevar	Western Region	States/UTs come under Western Region”

(2) after the Sr. No. 20, the following entries shall be inserted in the respective columns namely:

Sr. No.	Name of CFSOs	Place of Posting	Area of Jurisdiction
21.	Dr. Tina K J	Southern Region	States/UTs come under Southern Region
22.	Mr. Chiranjeevi Podapati		
23.	Ms. Kommoju Aishwarya		
24.	Ms. Sheela P S		
25.	Dr. Minta Elizabeth Vargheese		
26.	Mr. C Senthil Murugan		
27.	Mr. Vaibhav Vyas	Northern Region	States/UTs come under Northern Region
28.	Mr. Rishav		
29.	Mr. Umang Srivastava		
30.	Ms. Nandita Das		
31.	Ms. Kumari Namita		
32.	Mr. Nehulkumar Maheshbhai Shrigod	Western Region	States/UTs come under Western Region”
33.	Mr. Patil Satish Yashavant		

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./576/2021-22]

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide F. No. RCD-15001/4/2021-Regulatory-FSSAI, dated the 2nd September, 2021 and subsequently amended vide notification numbers: -